सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 26, शनिवार, *शाके 1946*- फरवरी 15, 2025 *Magha 26, Saturday, Saka 1946- February 15, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 23, 2025

संख्या:02/भू.अ./ज.स./2025/143-147:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कल्याणपुरा-झालावाड़ में सोलर आधारित फव्वारा पद्वति से लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, चॅवली परियोजना नहर खण्ड, झालावाड़ को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत, झालावाड़ होगे।

--:विवरणः-

अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कल्याणपुरा झालावाड़ में सोलर आधारित	कल्याणपुरा	शेरपुर	पिड़ावा	झालावाड	भूमि अवाप्ति अधिकारी जल

2	फ़व्वारा पद्धति से लघु सिचाई परियोजना का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि।	आधाखेड़ी	रामपुरिया			संसाधन वृत झालावाड
3		बीजनियाखेड़ी	रामपुरिया			

फार्म–2

(देखें–नियम–5)

पार्ट–बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता चॅवली परियोजना नहर खण्ड झालावाड।
	प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	कल्याणपुरा झालावाड़ में सोलर आधारित फ़व्वारा पद्धति से लघु सिचाई परियोजना। इस योजना के अन्तर्गत कुल भूमि 120 हेक्टेयर (निजी भूमि 90 हेक्टे. सरकारी 30 हेक्टे.) अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईयां भी दें।	परामर्श सर्वेक्षण सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और (भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारें में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथनकि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत	हॉ

	और शून्य हों जाएगी।	
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	कार्यालय अधिशाषी अभियंता चॅवली परियोजना नहर खण्ड झालावाड।

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।